संख्या 330/2012/14(120)/XXVII(8)/06

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

विभागः वित्त (अनुभाग–8) देहरादूनः: दिनांकः: 17 अप्रैल, 2012

विषयः सिविल एवं विद्युत सकर्म संविदाकरों के सम्बन्ध में दिनांक 01–04–2012 से 31–03–2015 तक की अवधि के लिये समाधान योजना लागू किये जाने विषयक।

महोदया,

कृपया अपने कार्यालय के पत्र सं0 8294 दिनांक 17 मार्च, 2012 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा सिविल एवं विद्युत संकर्म संविदाकारों के सम्बन्ध में दिनांक 01–04–2012 से 31–03–2015 तक की अवधि के लिये मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7(2) में देय कर के स्थान पर एकमुश्त समाधान राशि योजना लागू किये जाने का अनुरोध किया गया है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा उक्त अवधि के लिये समाधान योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। उक्त योजना से सम्बन्धित शासन के निर्देश, प्रार्थना पत्र एवं शपथ–पत्र के प्ररूप आपको इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि कृपया इन योजनाओं का अपने स्तर से व्यापक प्रचार–प्रसार कराते हुए इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव,वित्त।

1508
18/4/2012

अपर आयुक्त कर
उत्तराखण्ड, देहरादून

Vividh Patra/Commissiner ko Presit/DT

अनुलग्नक–1

शासन के निर्देश

सिविल संकर्म संविदाकारों एवं विद्युत संविदाकारों द्वारा उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत देय कर के विकल्प में उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत एकमुश्त समाधान राशि दिये जाने से सम्बन्धित समाधान योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में शासन के निर्देश।

(1) शासन ने यह निर्णय लिया है कि अविभाजित सिविल संविदाओं के सम्बन्ध में सिविल संकर्म संविदाकारों एवं विद्युत संविदाकारों द्वारा देय कर की राशि के विकल्प में उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत समाधान राशि निम्न शर्तो के अधीन स्वीकार की जायेः–

(2) सिविल संविदाकार से तात्पर्य ऐसे संविदाकारों से है जो प्रस्तर–क में उल्लिखित कार्य को करते हैं अथवा प्रस्तर–क में उल्लिखित कार्य के लिए हुई संविदा के अधीन प्रस्तर–क के कार्य के साथ–साथ प्रस्तर–ख, ग, घ और ङ में उल्लिखित कार्य या समस्त कार्य करते हैं–

(क) सिविल कार्य जैसे कि भवनों, पुलों, सड़कों, बांधों, शेड्स, बैराजों, काजवे, उत्पलमार्ग (स्पिलवेज), डाईवर्जनों का निर्माण, मरम्मत तथा ड्रेनेज व सिवरेज से सम्बन्धित कार्य।

(ख) स्ट्रैक्चर, दरवाजे, खिड़की, फ्रेम, ग्रिल्स, शटर्स तथा अन्य इसी प्रकार की वस्तुयें यदि वह संविदा स्थल पर बनाकर उपरोक्त (क) में प्रयोग की जाये।

(ग) टाइल, स्लैब, पत्थरों, तथा शीट्स आदि का लगाना यदि वह उपरोक्त (क) में प्रयोग की जाये।

(घ) उपरोक्त (क) में अंकित संविदा कार्यो का विद्युतीकरण तथा प्लम्बिंग से सम्बन्धित सभी कार्य।

(ङ) भवनों की रंगाई व पुताई का कार्य।

(3) विद्युत संविदाकार से तात्पर्य ऐसे संविदाकार से है जो निम्न में से कोई कार्य या समस्त कार्य करते होंः–

(क) भवनों के अन्तः या वाह्य वायरिंग जिसमे बिजली के पोल, केबिल, ओवर हैड लाईन, स्ट्रीट लाईट की लाईटनिंग एवं स्थापना शामिल है;

(ख) मैन स्विच, डिस्ट्रिब्यूशन बोर्ड, कन्ट्रोल पैनल की आपूर्ति एवं स्थापना;

(ग) ट्यूब फिटिंग्स, लैम्प शेड्स, ब्रेक्रेट्स की आपूर्ति एवं स्थापना तथा पंखों की स्थापना;

(घ) ऊर्जा वितरण उपकरण अर्थात् स्विच गेयर, पैनल डिस्ट्रिब्यूशन बोर्ड की आपूर्ति एवं स्थापना;

(ङ) अर्थिंग उपकरणों की आपूर्ति एवं स्थापना;

(च) विद्युत अधिष्ठानों/ उपकरणों की मरम्मत हेतु उक्त सामग्री की आपूर्ति एवं स्थापना।

(4) समाधान राशि का आंकलन अविभाजित सिविल संकर्म संविदाओं के सम्बन्ध में संविदाकार द्वारा सम्पन्न संविदा की कुल धनराशि में से संविदी द्वारा आपूर्ति किये गये ऐसे माल की धनराशि के घटाने के पश्चात् प्राप्त धनराशि पर की जायेगी जिसका उल्लेख संविदा में हो किन्तु यह कटौती अधिक से अधिक 20 प्रतिशत तक ही सीमित रहेगी। जिन सिविल संविदाओं में मिट्टी का कार्य (अर्थवर्क) संविदा की कुल धनराशि के 33 प्रतिशत से अधिक होगा उनमें संविदाकार को प्राप्त होने वाली धनराशि में से अर्थवर्क के सम्बन्ध में संविदा की 33 प्रतिशत से अधिक प्राप्त होने वाली धनराशि घटा दी जायेगी तथा अवशेष धनराशि पर समाधान धनराशि की गणना निम्न प्रकार से की जायेगीः–

(क) जिन मामलों में संविदाकार द्वारा वित्तीय वर्ष में निष्पादित ठेके की कुल धनराशि के 5 प्रतिशत तक माल के आयात का प्रयोग किया हो, जिसमें उक्तानुसार आगणित धनराशि के 4 प्रतिशत की दर से;

(ख) जिन मामलों में संविदाकार द्वारा वित्तीय वर्ष में निष्पादित ठेके की कुल धनराशि के 5 प्रतिशत से अधिक आयातित माल का प्रयोग किया हो, जिसमें उक्तानुसार आगणित धनराशि के 6 प्रतिशत की दर से निर्धारित की जायेगी।

विद्युत संविदाकारों के सम्बन्ध में समाधान राशि निम्न प्रकार आगणित की जायेगीः–

(क) जिन मामलों में संविदाकार द्वारा वित्तीय वर्ष में निष्पादित ठेके की कुल धनराशि के 5 प्रतिशत तक आयातित माल का प्रयोग किया हो, उसमें निष्पादित ठेके की धनराशि के 4 प्रतिशत की दर से;

(ख) जिन मामलों में संविदाकार द्वारा वित्तीय वर्ष में निष्पादित ठेके की कुल धनराशि के 5 प्रतिशत से अधिक माल का प्रयोग किया हो, उसमें निष्पादित ठेके की कुल धनराशि के 6 प्रतिशत की दर से निर्धारित की जायेगी।

प्रतिबंध यह है कि प्रदेश के बाहर से आयात करने वाले उपरोक्त दोनों प्रकार के संविदाकारों के लिये संविदा की धनराशि के 5 प्रतिशत से अधिक माल आयात करने पर यह विकल्प होगा कि वह संकर्म संविदा के निष्पादन से प्राप्त होने वाली सम्पूर्ण धनराशि पर 4 प्रतिशत के स्थान पर 6 प्रतिशत की दर से समाधान शुल्क जमा कर दें तथा ऐसी दशा में कर निर्धारण से सम्बन्धित प्राविधान लागू नहीं होंगे। प्रतिबंध यह भी है कि 6 प्रतिशत का विकल्प लेने वाले संविदाकार को बाद में 4 प्रतिशत का विकल्प उपलब्ध नहीं होगा।

(5) संविदाकार को अनुबन्धवार आयातित माल के प्रयोग से सम्बन्धित विवरण वर्ष के अन्त में प्रस्तुत किये जाने वाले वार्षिक विवरणी के साथ प्रस्तुत करना होगा। यदि संविदाकार जॉच के दौरान आयातित माल का प्रयोग अनुबन्ध के निस्तारण में किया जाना सिद्ध नहीं कर पाता है तो ऐसे आयातित माल की खरीद पर भाड़ा तथा अन्य खर्चों को जोड़ते हुए आयी धनराशि पर 20 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए उसकी बिक्री निर्धारित की जायेगी तथा नियमानुसार कर आरोपित किया जायेगा। साथ–साथ अर्थदण्ड की कार्यवाही भी की जायेगी।

(6) संविदा के निष्पादन में अन्तरित होने वाले के अतिरिक्त किसी माल की बिक्री पर नियमानुसार कर देय होगा।

आ.प्र
आ

(7) समाधान योजना को अपनाने वाले संविदाकार या उप संविदाकार को इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं मिलेगा।

(8) संविदाकार द्वारा देय कुल समाधान राशि संविदा प्रारम्भ होने वाले वर्ष एवं संविदा के पूर्णरूप से निष्पादित होने वाले वर्ष के मध्य देय होगी। सिविल संकर्म संविदाओं के सम्बन्ध में 1 अप्रैल 2012 या उसके पश्चात् प्राप्त होने वाली धनराशियों पर 4 प्रतिशत/ 6 प्रतिशत की दर से समाधान राशि अथवा प्रत्येक तिमाही में निष्पादित किए गए कार्य के सम्बन्ध में देय समाधान राशि, जो भी अधिक हो, 30 जून, 30 सितम्बर, 31 दिसम्बर तथा 31 मार्च को समाप्त होने वाली तिमाहियों की समाप्ति के 25 दिन के अन्दर जमा की जाएगी। संविदा पूर्णरूप से निष्पादित होने वाली तिमाही के पश्चात् अवशेष समाधान राशि 25 दिन के अन्दर एकमुश्त जमा की जाएगी। उदाहरणार्थ किसी संविदाकार को प्राप्त संविदा के सम्बन्ध में निर्माण कार्य मई 2012 से प्रारम्भ होकर जनवरी 2014 में समाप्त होना है तब समाधान राशि वर्ष 2012–2013 की चारों तिमाही तथा वर्ष 2013–2014 की प्रथम तीन तिमाही के लिए उपरोक्तानुसार जमा की जाएगी तथा प्रस्तर 4 के अनुसार आगणित कुल समाधान राशि में से वर्ष 2012–2013 में तथा 2013–2014 की प्रथम तीन तिमाही हेतु संविदाकार द्वारा जमा की गई श्रोत पर कटौती की गई धनराशि को घटाने के बाद अवशेष समाधान राशि वर्ष 2013–2014 की चतुर्थ तिमाही की समाधान राशि के रूप में 25 अप्रैल 2014 तक जमा की जाएगी। निश्चित समय के अन्दर समाधान राशि जमा न करने पर ऐसे संविदाकार पर 1.25 प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज देय होगा तथा नियमानुसार अर्थदण्ड भी लगाया जा सकता है।
संविदा के पूर्णरूप से निष्पादित होने वाली तिमाही तक उस संविदा के सम्बन्ध में संविदाकार के संविदा से पूर्ण भुगतान प्राप्त न होने तथा समस्त समाधान राशि जमा होने की स्थिति में उस संविदा से सम्बन्धित शेष भुगतान के समय श्रोत पर कोई कटौती न किये जाने से सम्बन्धित आदेश जारी किए जायेंगे।

(9) यह योजना ऐच्छिक होगी और संविदाकार इसे न अपनाना चाहे उनका नियमित करनिर्धारण किया जायेगा। जो संविदाकार देय व्यापार कर के स्थान पर धारा 7 की उपधारा (2) में समाधान राशि जमा करने का विकल्प अपनाना चाहते हैं वह ऐसे प्रार्थना–पत्र प्रारूप में संविदा की तिथि से 90 दिन के अन्दर अपने असिस्टैन्ट कमिश्नर/कर निर्धारक प्राधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। प्रार्थना पत्र के साथ संविदा के निष्पादन के सम्बन्ध में प्राप्त की गयी धनराशि पर प्रस्तर 4 के अनुसार आगणित समाधान शुल्क भी जमा किया जायेगा। जो धनराशि संविदी द्वारा काटी जा चुकी है, उसका उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 में निर्धारित प्रारूप में प्रमाण–पत्र देने पर धारा 35 में की गई कटौती की धनराशि समाधान राशि में से घटा दी जाऐगी। निर्धारित अवधि में विकल्प प्रस्तुत न किए जाने की दशा में संविदाकार द्वारा विकल्प अगले 90 दिन के अन्दर 1.25 प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज सहित दिया जा सकता है।

(10) यह योजना 1–4–2012 से 31–3–2015 तक के लिए लागू की जा रही है। किसी संविदाकार के लिए इस बात की अनुमति नहीं होगी कि वह अपनी सम्पूर्ण संविदाओं में से केवल कुछ संविदाओं के सम्बन्ध में अथवा संविदा के कुछ भाग के सम्बन्ध में समाधान राशि का विकल्प दें। जिन संविदाकारों द्वारा पूर्व वर्ष में समाधान योजना का लाभ प्राप्त

किया गया है उन्हें अगले वर्ष से संविदा कार्य चालू रहने की स्थिति में उस संविदा के सम्बन्ध में समाधान योजना के अन्तर्गत पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। संविदाकार द्वारा एक बार समाधान योजना में शामिल होने से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् उस वित्तीय वर्ष में प्राप्त अन्य अनुबन्धों के सम्बन्ध में समाधान योजना हेतु पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी केवल प्राप्त अनुबन्ध की सूचना करनिर्धारण अधिकारी को अनुबन्ध प्राप्त होने के 30 दिन के अन्दर देनी होगी।

(11) समाधान योजना में शामिल होने के प्रार्थना–पत्र के साथ संविदाकार को इस बात का प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा कि उसके द्वारा संविदाकारों पर लगाए जाने वाले कर, स्रोत पर कटौती के बारे में उच्च / उच्चतम न्यायालय में कोई याचिका नहीं दायर की गई है तथा यदि दायर की गई है तो वापस ले ली गई है। तत्पश्चात् ही समाधान योजना में शामिल होने पर विचार किया जाएगा।

(12) जो संविदाकार एक से अधिक जनपदों में कार्य करते हैं वह अपने मुख्यालय की घोषणा कमिश्नर वाणिज्य कर को करेंगे जिसकी प्रति सम्बन्धित मुख्यालय के कर निर्धारक प्राधिकारी को देंगे तथा अन्य जिलों के ऐसे अधिकारियों जहॉ से उनको संविदा के सम्बन्ध में भुगतान प्राप्त होता है, को भी इस सम्बन्ध में सूचित करेंगे। जिन संविदाकारों का मुख्यालय उत्तराखण्ड के बाहर अथवा भारत वर्ष के बाहर हो तथा उनके द्वारा उत्तराखण्ड के अन्दर भी विभिन्न जिलों में कार्य किया जाता हो, ऐसे संविदाकार उत्तराखण्ड के अन्दर किसी एक कार्य स्थल को अपना प्रदेशीय मुख्यालय घोषित करेंगे, जिसकी सूचना कमिश्नर वाणिज्य कर तथा विभिन्न कर निर्धारक प्राधिकारियों को भी देंगे। यदि उनके द्वारा कोई विकल्प नहीं दिया जाता है तो कमिश्नर वाणिज्य कर को मुख्यालय घोषित करने का अधिकार होगा।

(13) धारा 7 की उपधारा (2) में समाधान योजना हेतु विकल्प एक बार देने के पश्चात् सम्बन्धित संविदाकार उसे वापस नहीं ले सकेगा।

(14) समाधान राशि, उस पर देय ब्याज तथा अर्थदण्ड की वसूली उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 34 में भू–राजस्व की बकाया के रूप में की जाएगी तथा साथ ही साथ धारा 58 के अन्तर्गत भी कार्यवाही की जा सकती है।

(15) यदि किसी संविदाकार से धारा 35 के अन्तर्गत की गयी कटौती की धनराशि उसके द्वारा देय समाधान राशि से अधिक हो तो अधिक जमा धनराशि नियमानुसार वापस की जायेगी।

(16) जहॉ पर मुख्य संविदाकार द्वारा समाधान योजना स्वीकार कर ली गयी हो वहॉ उप संविदाकार (सब कान्ट्रैक्टर) पर कोई कर नहीं लगाया जायेगा।

(17) जहॉ पर आंशिक या पूर्ण कार्य उप संविदाकारों द्वारा किया जा रहा है, वहॉ पर मुख्य संविदाकार द्वारा समाधान योजना स्वीकार कर ली गयी हो, तो उप संविदाकार (सब कान्ट्रैक्टर) को किये गये भुगतान की धनराशि मुख्य संविदाकार की धनराशि में से तभी

घटाई जायेगी, जब यह प्रमाणित हो जाय कि उप संविदाकार, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत है और उसके द्वारा दाखिल कर विवरणी में उपरोक्त धनराशि शामिल कर ली गयी है। यदि मुख्य संविदाकार प्रस्तर 4(क) के अनुसार समाधान योजना के पात्र हैं, परन्तु उप संविदकार प्रस्तर 4(क) से भिन्न शर्त के अनुसार संविदा निस्तारण करता है अर्थात् 5 प्रतिशत से अधिक आयातित माल का प्रयोग संविदा के निष्पादन में करते हैं तो ऐसे उप संविदाकारों को प्रस्तर 4(ख) के अनुसार समाधान राशि देनी होगी।

(18) यदि यह पाया जाता है कि संविदाकार द्वारा समाधान योजना में शामिल होने हेतु दिये गये प्रार्थना–पत्र/ शपथ–पत्र में कोई तथ्य छिपाया गया है अथवा कोई गलत विवरण दिया गया हो तो कर निर्धारक प्राधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह एकमुश्त धनराशि जमा करने के सम्बन्ध में संविदाकार से हुए अनुबन्ध को निरस्त कर सके तथा नियमानुसार कर निर्धारण, की कार्यवाही कर सके।

(19) सिविल संविदाओं/ विद्युत संविदाओं के विवाद के सम्बन्ध में कमिश्नर वाणिज्य कर का निर्णय अंतिम होगा।

(20) योजना की व्यवहारिकता व उपयोगी बनाने के सम्बन्ध में कमिश्नर वाणिज्य कर आवश्यक निर्देश दे सकते हैं।

(21) किसी वित्तीय वर्ष से योजना को बिना कारण बताये समाप्त करने अथवा योजना की निर्धारित समाधान धनराशि में बढ़ोत्तरी करने अथवा अन्य किसी प्रकार का संशोधन करने का अधिकार राज्य सरकार को होगा किन्तु जिस दिन से राज्य सरकार समाधान योजना न लागू करने का निर्णय लेती है उस दिन तक प्रारम्भ की गई संविदाओं के कार्य पर तत्समय लागू योजना का लाभ उस संविदा के सम्बन्ध में दिया जायेगा और उस दिन के बाद की संविदाओं से सम्बन्धित कार्य पर नए प्राविधान लागू होंगे।

(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त।

सिविल संकर्म संविदाकारों एवं विद्युत संविदाकारों के लिये उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र
(प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष के लिए अलग–अलग)

सेवा में,

असिस्टैन्ट कमिश्नर / कर निर्धारक प्राधिकारी

खण्ड

महोदय,

मै फर्म .....जिसका मुख्यालय ..... पर स्थित है तथा जिसे उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 15 अथवा 16 में वाणिज्य कर कार्यालय .....द्वारा पंजीयन प्रमाण–पत्र सं0.....दिनॉक .....से प्रभावी जारी किया गया है अथवा जिसने उक्त अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन प्राप्त करने के लिये असिस्टैन्ट कमिश्नर खण्ड ..... मण्डल / उपमण्डल ..... के कार्यालय में दिनॉक .....को प्रार्थना – पत्र प्रस्तुत कर दिया है, का स्वामी / साझीदार .....हूँ। मैं यह प्रार्थना–पत्र उक्त फर्म की ओर से प्रस्तुत कर रहा हूँ। हमारी फर्म ने उक्त वर्ष में .... (जिसे आगे तथा संलग्न शपथ–पत्र में इम्प्लायर कहा गया है) से वर्क कान्ट्रैक्ट का ठेका कार्य लिया है । उस पर देय कर के विकल्प में धारा 7 की उपधारा (2) में दिये गये शासन के निर्देशों को हमने तथा हमारी फर्म में हितबद्ध व्यक्तियों ने सावधानीपूर्वक पढ़ और समझ लिया है। यह सब हमें स्वीकार्य है।

(2) उक्त वर्क्स कान्ट्रैक्ट का विवरण संलग्न शपथ–पत्र में है तथा वर्क्स कान्ट्रैक्ट एग्रीमेंट की प्रमाणित प्रति भी संलग्न है।

(3) मैं वित्तीय वर्ष .....में उक्त फर्म द्वारा की गयी माल के स्वामित्व के अन्तरण पर देय कर के स्थान पर उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) के उपबन्धों तथा शासन के निर्देशों के अधीन संलग्न शपथ–पत्र / अनुबन्ध के अनुसार एकमुश्त धनराशि स्वीकार किये जाने का निवेदन करता हूँ।

(4) उक्त वर्ष के लिये धारा 7 की उपधारा (2) में एकमुश्त राशि रूपये ..... मेरे द्वारा जमा कर दी गयी है व सम्बन्धित इम्प्लायर ने धारा 35 में कटौती कर ली है जिसके चालान व प्रमाण–पत्र संलग्न है और जिनका विवरण नीचे अंकित है।

चालान का विवरण

चलान नं0	तिथि	राशि	बैंक का नाम व शाखा जिसमें राशि जमा की गयी	संलग्न चालान तथा संख्या

धारा 35 में की गयी कटौती का विवरण

विभाग व अधिकारी का पदनाम जिसने कटौती की	की गयी कटौती की धनराशि	वर्क्स कान्ट्रैक्ट एग्रीमेन्ट का विवरण जिसके अन्तर्गत कार्यावधि	वर्क्स कान्ट्रैक्ट एग्रीमेन्ट के अन्तर्गत इम्प्लायर से प्राप्त भुगतान की तिथि	राशि	संलग्नक प्रमाण–पत्र तथा संख्या
1	2	3	4	5	6

घोषणा

मैं घोषणा करता हूँ कि इस प्रार्थना–पत्र में वर्णित सभी तथ्य मेरी जानकारी तथा विश्वास में पूर्णतया सत्य हैं। उनमें कोई भी गलत या अपूर्ण नहीं है और न कोई संगत तथ्य छिपाया गया है।

हस्ताक्षर .....
पूरा नाम.....
प्रास्थिति.....

प्रमाणीकरण

मैं इस प्रार्थना–पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। यह फर्म ..... के स्वामी /साझीदार / ..... हैं तथा इस प्रार्थना–पत्र पर उन्होंने मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये हैं।

(प्रमाणीकरण करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर)
पूरा नाम.....
पूरा पता.....

जमा का प्रमाण – पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सर्वश्री .....(पूरा पता) ....द्वारा दिनॉक .....से दिनॉक ..... तक की अवधि में किये गये वर्क्स कान्ट्रैक्ट एग्रीमेन्ट संख्या ..... तिथि .... तथा कुल राशि के विरूद्ध उन्हें दिनॉक .....को रू0 ..... की धनराशि का भुगतान किया गया है। इसके अलावा उन्हें उक्त अवधि में रू0 .....मूल्य का मैटीरियल निम्न विवरण के अनुसार दिया गया है:–

अवधि	मूल्य	दिये गये मैटीरियल का नाम	मात्रा	दिये गये मैटीरियल के सम्बन्ध में किये जा रहे भुगतान में से काट गयी राशि	अन्य राशि जिसकी कटौती की गयी कटौती की राशि का प्रकार	भुगतान की गयी राशि	विशिष्ट
1	2	3	4	5	6	7	8

उनसे उक्त अवधि में कर के रूप में रू0.....की कटौती की गयी है जिसे निम्न प्रकार वैट खाते में जमा करा दिया है।

काटी गयी धनराशि	चालान सं0–तिथि चालान	बैंक का नाम व शाखा जहॉ राशि जमा की गयी

प्रमाण पत्र जारी करने वाले
अधिकारी के हस्ताक्षर.....
पदनाम.....
कार्यालय की मोहर.....

शपथ–पत्र / अनुबन्ध

मैं .....पुत्र श्री .....वर्ष.....
.....स्थाई निवासी.....(पूरा नाम).....
.....शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि :–

1. मैं फर्म सर्वश्री .....जिसका मुख्यालय.....
.....(पूरा पता) पर स्थित है, का स्वामी / साझीदार / .....
.....(प्रास्थिति) हूँ तथा यह शपथ–पत्र अपनी उपरोक्त फर्म की ओर से वर्ष .....के लिए धारा 7 की उपधारा (2) में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ।
2. मेरी फर्म के मुख्यालय व शाखाओं का विवरण निम्नवत है :–

क्रम सं0	नाम	पूरा पता	व्यवसाय की प्रकृति	विशेष विवरण
1	मुख्यालय			
2	शाखाएं			
	(अ)			
	(ब)			
	(स)			

3. मेरी फर्म द्वारा उपरोक्त वर्ष में किये गये वर्क कान्ट्रैक्ट का विवरण निम्नवत हैं:–

इम्पलायर का नाम व पता	वर्क का0 एग्रीमेंट की सं0 व तिथि	वर्क का0 एग्रीमेंट की प्रकृति तथा स्थल	ठेके की कुल धनराशि	उक्त वर्ष में प्राप्त धनराशि तिथि राशि
1	2	3	4	5

प्राप्त होने योग्य अवशेष धनराशि	धारा 35 में की गई कटौती की तिथि धनराशि	इम्पलायर द्वारा दिये गये मैटीरियल का विवरण		विशेष
		वस्तु	मूल्य	
6	7	8क	8ख	9

4. उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन उपरोक्त वर्क्स कान्ट्रैक्ट पर देय समाधान राशि रू0..... मेरे द्वारा जमा कर दी गयी है अथवा इम्पलायर द्वारा कटौती कर ली गयी है, जिसका विवरण निम्नवत् हैं:–

इम्पलायर का नाम व पता	वर्क का0 एग्रीमेंट की सं0 व तिथि	वर्क का0 एग्रीमेंट की प्रकृति तथा स्थल	ठेके की कुल धनराशि	उक्त वर्ष में प्राप्त धनराशि तिथि राशि
1	2क	2ख	3	4

प्राप्त होने योग्य अवशेष धनराशि	धारा 35 में की गई कटौती की तिथि धनराशि	इम्प्लयार द्वारा दिये गये मैटीरियल का विवरण वस्तु मूल्य	विशेष
5	6	7	8

5. प्रस्तर तीन में अंकित वर्ष में मेरे द्वारा इस शपथ–पत्र में उल्लिखित वर्क कान्ट्रैक्ट के अतिरिक्त अन्य कहीं पर कोई भी वर्क कान्ट्रैक्ट का कार्य नहीं किया गया है और न किसी वर्क कान्ट्रैक्ट के विरूद्ध कोई धनराशि प्राप्त की गयी है।

6. उच्चतम न्यायालय/ उच्च न्यायलय में मेरे द्वारा इस विषय में कोई रिट याचिका दायर नहीं की गयी है।

7. अनुलग्नक–1 में अंकित निर्देशों तथा शर्तो को हमने सावधानी पूर्वक पढ़ लिया है और वह हमें व हमारी फर्म के सभी हितबद्ध व्यक्तियों को मान्य है। यदि एकमुश्त समाधान धनराशि की मेरी प्रार्थना स्वीकार की जाती है तब मेरी फर्म इस शपथ–पत्र /अनुबन्ध के अनुलग्नक–1 में दी गयी शर्तो का अनुपालन करने शासन अथवा कमिश्नर वाणिज्य कर द्वारा लगाये गये प्रतिबन्धों अथवा दिए गए निर्देशों का पालन करने तथा अपने दायित्वों को निवाहने के लिए बाध्य होगी। अनुलग्नक में दिए गए निर्देशों, लगाए गए प्रतिबन्धों और निर्धारित शर्तो के अनुपालन न किये जाने की दशा में उत्तराखण्ड राज्य सरकार तथा वाणिज्य कर विभाग, अनुलग्नक में उल्लिखित कार्यवाही मेरी फर्म के विरूद्ध कर सकेगी।

घोषणा

मैं .....उपरोक्त घोषणा करता हूँ कि शपथ पत्र/ अनुबन्ध के प्रस्तर 1 से 7 तक के अन्तर्गत दिये गये विवरण मेरी जानकारी और विश्वास से सम्पूर्णतया सत्य हैं और कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि शपथ पत्र/ अनुबन्ध पत्र तथा उसके संलग्नक एवं अनुलग्नक में निर्धारित प्रतिबन्धों, शर्तों और दिशा निर्देशों से मैं तथा मेरी फर्म में हितबद्ध अन्य व्यक्ति आबद्ध रहेंगे।

साक्षी के हस्ताक्षर.....
नाम.....
पूरा पता.....
समय.....
स्थान.....
दिनांक.....

हस्ताक्षर शपथकर्ता.....
पूरा नाम.....
प्रास्थिति.....
समय.....
स्थान.....
दिनांक.....